**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0:–48/2012**
# CIS NO. TS-529/2018

हिरालाल साह.....वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **07.02.2024** | वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.11.2019 पर आदेश हेतु नियत है।<br><br>**आदेश (ORDER)**<br><br>वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.11.2019 में कहा गया है कि प्रस्तुत मुकदमें में महत्पपूर्ण दस्तावेज सं0–364 दिनांक 06.01.2012 नविस्ते सुमित्रा देवी बनाम प्रतिवादी जिसके विरूद्ध वादी ने रद्द वातिल करने का अनुतोष मांगा है। भूलवश वादी द्वारा समय पर दाखिल नही किया जा सका, जिसके कारण वह प्रदर्श अंकित नही हो पाया। वादी उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि आज दाखिल कर रहे है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकृत दस्तावेज है। प्रतिवादीगण की ओर से उसकी मूल प्रति दाखिल किया जा चुका है। न्यायहित में उक्त दस्तावेज का वादी की ओर से प्रदर्श होना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा।<br><br>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.01.2023 को दाखिल कर वादी के आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया तथा कहा कि वादी के द्वारा दिनांक 05.11.2019 को बयनामा दस्तावेज सं0–364 दिनांक 06.01.2012 नविस्ते सुमित्रा देवी बहक प्रतिवादीगण की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल करके ग्रहण करने एवं प्रदर्श अंकित करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन वाद बिन्दु गठन के समय उक्त दस्तावेज वादी के द्वारा किस परिस्थिति में दाखिल नही किया गया था इसका कोई कारण उल्लेखित नही किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br><br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित | |

**न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0:–48/2012**
**CIS NO. TS-529/2018**

हिरालाल साह.....वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 07.02.2024** | होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय से दाखिल नही किया गया है परंतु फिर भी न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 05.11.2019 मो0–2500/– रूपये हर्जे पर वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें।<br>आगामी दिनांक 01.03.2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश, प्रथम<br>नरकटियागंज | |